भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

/भू–राजस्व/अभ्यावेदन/सीहोर/2018/

विविध-0340/2019/सीहोर/भू.रा.सं.

(1) **चन्द्रपाल सिंह** पुत्र श्री करण सिंह सेंधो
(2) **कृपाल सिंह** पुत्र श्री करण सिंह सेंधो
निवासीगण–ग्राम झालकी, तह0–इछावर,
जिला–सीहोर (म0प्र0)–––**अभ्यावेदकगण/**[redacted]

विरूद्ध

(1) **बलवान सिंह** पुत्र श्री हिम्मत सिंह सेंधो
(2) **शोभाल सिंह** पुत्र श्री हिम्मत सिंह सेंधो
निवासीगण–ग्राम नीलबड़, तह0–इछावर,
जिला–सीहोर (म0प्र0) ––– **प्रत्यर्थीगण**

अभ्यावेदन अंतर्गत धारा–8 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

अभ्यावेदन श्रीमान अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के प्र0क0–71/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 15.10.2018 जिसके द्वारा अ0वि0अ0 महोदय, इछावर द्वारा प्र0क0–26/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2015 स्थिर रखा, जिसके द्वारा नायब तहसीलदार इछावर के प्र0क0–19/अ–6–अ/12–13 में पारित आदेश दिनांक 16.12.13 निरस्त किया गया है, से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर निम्नानुसार अभ्यावेदन/आवेदन समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा अपने स्वत्व की कृषि भूमि का सीमांकन कराते समय ज्ञात हुआ कि पंजीकृत दस्तावेजों के विरुद्ध अज्ञात कर्मचारी/अधिकारी द्वारा बगैर किसी वैध आदेश के अक्स में त्रुटि किये जाने से उसे दुरुस्त किये जाने हेतु जिलाध्यक्ष महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो तहसील न्यायालय को प्रेषित किया गया, जिस पर से विधिवत

निरंतर...2....

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-340/19/म.प्र./RW.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-3-2019	आवेदक की ओर से श्री मेहरवान सिंह, अभिभाषक अनुपस्थित । प्रकरण का ग्राह्यता के बिन्दु पर अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता,1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 8 के अन्तर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 8 के अंतर्गत मंडल को प्रशासकीय नियंत्रण की शक्तियां दी गई । इस धारा का उपयोग न्यायिक शक्तियों के लिए नहीं किया जा सकता है, जबकि अभ्यावेदन के माध्यम से न्यायिक विचारण के बिन्दु उठाए गए हैं। अत: यह अभ्यावेदन अमान्य किया जाता है । अध्यक्ष	